भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 509/जेन/2015/आरसीसी **दिनांकः 13 अक्तूबर, 2015**

सेवा में

(1) महासचिव,
लोक सभा,
लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

(2) महासचिव,
राज्य सभा,
राज्य सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

(3) सभी राज्यों एवं
संघ राज्य-क्षेत्रों के
मुख्य सचिव।

(4) सचिव,
सभी राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर के सिवाय) की विधान सभा
तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
एवं पुडुचेरी।

(5) सचिव,
विधान परिषद,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक,
महाराष्ट्र, बिहार, उ.प्र. और
जम्मू एवं कश्मीर।

(6) मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
सभी राज्य एवं संघ राज्य-क्षेत्र।

(7) सचिव,
विधि विभाग,
सभी राज्य एवं संघ राज्य-क्षेत्र,
(राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से)

विषयः- 2005 की रिट याचिका (सिविल) सं. 490 और 2005 की 231 में माननीय उच्चतम न्यायालय का अधिनिर्णय दिनांक 10.07.2013-माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का क्रियान्वयन करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई।

महोदय,

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2005 की रिट याचिका (सिविल) सं. 490 और 2005 की 231 (लिली थॉमस बनाम भारत संघ एवं अन्य) में अपने निर्णय दिनांक 10-07-2013 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (4) को संविधान के अधिकारातीत घोषित करते हुए अभिनिर्धारित किया कि एक न्यायालय द्वारा दोष-सिद्ध ठहराए जाने पर एक सदन का वर्तमान सदस्य निरर्हित हो जाता है और उसके तत्काल बाद संबंधित सदन में उसका स्थान संविधान के अनुच्छेद 103 (3) (क) या अनुच्छेद 190 (3) (क), जो भी लागू

हो, के अंतर्गत उस परिस्थिति में तत्काल रिक्त हो जाता है जब दोष-सिद्धि और/या दिए गए दंडादेश पर उक्त अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत निरर्हता लागू होती है।

2. पूर्वोल्लिखित निर्णय के संगत उद्धरण तत्काल संदर्भ के लिए नीचे प्रस्तुत किए गए हैः-

"संविधान के अनुच्छेद 101 (3) (क) और 190 (3) (क) में यह उपबंध किया गया है कि यदि सदन का कोई सदस्य खंड (1) में उल्लिखित निरर्हताओं में से किसी एक के अधीन हो जाता है तो "उसका स्थान तत्काल बाद से रिक्त हो जाएगा।" इसलिए, एक सदस्य का स्थान, जो खंड (1) में उल्लिखित निरर्हताओं में से किसी एक के अधीन हो जाता है, उस तारीख को रिक्त हो जाएगा जिस दिन सदस्य निरर्हित होता है और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 103 और 192 के अंतर्गत क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। हालांकि, रिक्त हुए पदों के भरे जाने पर संविधान के अनुच्छेद 103 और 192 के अंतर्गत क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णय की प्रतीक्षा की जा सकती है और यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल की यह राय होती है कि सदस्य संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 102 और 191 में उल्लिखित निरर्हताओं में से किसी एक के अधीन नहीं रहे है तो यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि निरर्हित न किया जाने वाला इस तरह धारित सदस्य का स्थान उस तारीख को रिक्त नहीं हुआ जिस दिन सदस्य निरर्हता के अधीन कथित रुप से रहा था।"

. . . . . .

"हम श्री लूथड़ा और श्री कुहाड के निवेदन में भी कोई मैरिट नहीं पाते हैं कि यदि संसद या राज्य विधान-मंडल का कोई वर्तमान सदस्य अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा(1), (2) या (3) के अंतर्गत दिए गए अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा हल्की दोषसिद्धि से पीड़ित होता है तो वह उपचारहीन हो जाएगा और उसे भारी परेशानी उठानी पड़ेगी क्योंकि वह अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के न रहने से ऐसी दोषसिद्धि के कारण निरर्हित हो जाएगा। रामा नारंग बनाम रमेश नारंग एवं अन्य [(1995) 2 एसएससी 513] में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के एक बेंच ने अभिनिर्धारित किया है कि जब दंड प्रक्रिया संहिता [संक्षेप में 'संहिता'] की धारा 374 के अंतर्गत एक अपील दायर की जाती है तो अपील दोषसिद्धि और दंडादेश दोनों के विरूद्ध होती है और, इसलिए, अपीलीय न्यायालय भी संहिता की धारा 389 (1) के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दोषसिद्धि के आदेश को रोक सकता है और उच्च न्यायालय भी संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उस परिस्थिति में दोषसिद्धि को रोक सकता है यदि संहिता की धारा 389 (1) सशक्त न हो।"

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

"इसलिए, अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1), (2) या (3) के अंतर्गत निरर्हता संहिता की धारा 389 के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय द्वारा या संहिता की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के स्थगन के आदेश की तारीख से प्रचालित नहीं होगी।"

3. इस संदर्भ में, पी वी नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सीबीआई/एसपीई) [1998 (4) एससीसी 626] में माननीय उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का अवलोकन करना भी सुसंगत होगाः

"अनुच्छेद 101 (3)(क) के कारण से एक संसद सदस्य का स्थान उस परिस्थिति में रिक्त हो जाता है जब वे अनुच्छेद 102 (1) और (2) में उल्लिखित निरर्हताओं के अधीन हो जाएं। वे निरर्हताएं हैं-संघ या राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ के पद का धारण करना (धारक को निरर्हित न करने के लिए कानून द्वारा संसद द्वारा घोषित पद से इतर); चित्त-विकृति के बारे में सक्षम न्यायालय द्वारा घोषणा; अनुन्मोचित दिवालियापन; एक विदेशी राष्ट्र की नागरिकता, उसके प्रति राजनिष्ठा या अवलम्बन; और संसद द्वारा या दसवीं अनुसूची के अंतर्गत बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत निरर्हता। अनुच्छेद 103 के उपबंधो के अंतर्गत केवल उस परिस्थिति में मामले को राष्ट्रपति के पास उनके निर्णय के लिए भेजा जाता है जब यह सवाल उत्पन्न हो जाता है कि क्या संसद सदस्य दसवीं अनुसूची के अंतर्गत की निरर्हता से इतर पूर्वोउल्लिखित किसी भी निरर्हता के

अधीन हो गए हैं। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है लेकिन निर्णय देने से पहले राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग का अभिमत प्राप्त करना होता है और उस अभिमत के अनुसार कार्य करना होता है।

हमारे प्रयोजनों के लिए प्रश्न यह है कि क्या अनुच्छेद 101, 102 एवं 103 की शर्तों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति को, एक संसद सदस्य को उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कहा जा सकता है। **अनुच्छेद 101 से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक संसद सदस्य का स्थान अनुच्छेद 102 में उल्लिखित निरर्हताओं के अधीन हो जाने पर तत्काल रिक्त हो जाता है।** एक संसद सदस्य का हटाया जाना कानून के प्रचालन से उत्पन्न हुआ है और यह स्व-प्रवर्तनशील है। **अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संदर्भ की जरूरत केवल तभी उत्पन्न होती है जब यह प्रश्न उठे कि क्या एक संसद सदस्य ने वैसी निरर्हता हासिल की है यानि कि यदि वह विवादित हो।** राष्ट्रपति को तब इस बात पर निर्णय लेना है कि क्या संसद सदस्य अनुच्छेद 101 द्वारा अपेक्षित स्वतः प्रवृत्ति निरर्हता के अधीन हो गए थे। उनका आदेश संसद सदस्य को उनके स्थान या पद से नहीं हटाएगा बल्कि यह घोषित करेगा कि वे निरर्हित हो गए। यह उस तारीख से प्रवर्तनशील नहीं होगा जब वह जारी किया गया हो बल्कि उस तारीख से जुड़ा होगा जब निरर्हता उपार्जित की गई हो। इसलिए, सेवा कानून में "हटाना" शब्द के लक्ष्यार्थ में जाए बगैर यह सुस्पष्ट प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति को एक संसद सदस्य को उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं कहा जा सकता।"

4. इस संबंध में, आयोग ने पूर्व में, अपने पत्र दिनांक 7 अगस्त, 2013 के जरिए अनुदेश दिया था कि संसद एवं राज्य विधान-मंडलों के वर्तमान सदस्यों की दोष-सिद्धि के मामलों की रिपोर्ट संबंधित माननीय स्पीकर/चेयरमैन को तत्काल दी जानी चाहिए। उक्त पत्र दिनांक 7 अगस्त, 2013 की एक प्रति संदर्भ के लिए संलग्न है।

5. इस तरह, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उपर्युक्त कानून को ध्यान में रख कर यह देखा जाएगा कि वर्तमान सदस्यों की दोषसिद्धि के मामलों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा के अंतर्गत सदस्यता से उनकी निरर्हता <u>कानून के प्रवर्तन से स्वतः - प्रवर्तनशील होगी</u> और ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 103 (1) या 192 (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा निर्धारण किए जाने के लिए <u>कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो सकता है।</u> इसलिए, ऐसे मामलों में संबंधित सदन के सचिवालय को संबंधित सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित करते हुए तत्काल अधिसूचना जारी करनी चाहिए। आयोग ने पाया है कि कुछ मामलों में सदन के सचिवालय द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी करने में विलंब हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप वह सदस्य जिसने निरर्हता उपार्जित की थी, संविधान के अनुच्छेद 101 (3) (क)/ 190 (3) (क) के उपबंधों और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के उल्लंघन में सदन का सदस्य बने रहते हैं।

6. यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में कानून का बिना किसी भेदभाव के एक समान रूप में प्रवर्तन किया जाए, आयोग अपेक्षा करता है कि भविष्य में, ऐसे सभी मामलों में निम्नलिखिल उपाय किए जाएः-

(i) मुख्य सचिवों को, राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में अभियोजनों से जुड़े विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करने चाहिए कि संसद/राज्य विधान-मंडल के वर्तमान सदस्यों की दोष-सिद्धि के मामले, संबंधित न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति के साथ, सदन के माननीय स्पीकर/चेयरमैन के ध्यान में तत्काल, और किसी भी दशा में आदेश की तारीख से 7 दिनों के भीतर, लाए जाएं।

(ii) संबंधित सदन का सचिवालय यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित कर सकता है कि जिन मामलों में दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप सदस्य की निरर्हता हो जाए उनमें दोष-सिद्ध सदस्य के स्थान

को रिक्त करने वाली अपेक्षित अधिसूचना तत्काल, और किसी भी दशा में आदेश की सूचना/प्रति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर, जारी की जाए। वैसी अधिसूचना की प्रति राज्य विधान-मंडल के सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के मामले में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, और लोक सभा/राज्य सभा के सचिवालय द्वारा निर्गत अधिसूचना के मामले में आयोग को तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

(iii) दोष-सिद्धि के बारे में सूचना एवं विधान-मंडल सचिवालय से अधिसूचना की प्रति प्राप्त होने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को तत्काल आयोग को सूचित करना चाहिए।

7. कृपया पावती दें और इस संबंध में निर्गत अनुदेशों की एक प्रति कृपया आयोग को पृष्ठांकित की जाए।

भवदीय,
ह./-
(के. एफ. विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव